

**न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.**

व्यवहार वाद क.-300083ए/2015

संस्थित दिनांक-12.08.2015

फा.नंबर-234503008632015

1. सुमरितलाल उम्र-80 साल पिता श्री सोनुलाल जाति अहिर,
 2. श्रीमती बसमोतिनबाई उम्र-74 साल पति श्री सुमरित लाल,
 3. शोकलाल उम्र-46 साल पिता श्री सुमरित लाल जाति अहिर,
 4. सुमन्ताबाई उम्र-57 साल पिता श्री सुमरित लाल जाति अहिर,
- सभी निवासी ग्राम कुकर्सा(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

1. सोमलाल उम्र-52 साल पिता श्री सुमरितलाल, जाति अहिर,
 2. हेमलाल उम्र-50 साल पिता श्री सुमरितलाल, जाति अहिर,
 3. हेमराज उम्र-43 साल पिता श्री सुमरितलाल, जाति अहिर,
- तीनों निवासी जामटोला(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।
4. हेमकुंअर उम्र-45 साल पिता श्री सुमरित लाल जाति अहिर,
- निवासी परसाटोला(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।
5. ईश्वरलाल उम्र-30 साल पिता पुरवाराम जाति अहिर, निवासी कोयलीखापा।
 6. श्रीमती तुलसाबाई उम्र-60 साल पिता श्री सुमरितलाल जाति अहिर,
- निवासी कोयलीखापा (गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।
7. श्रीमती फगनबाई उम्र-32 साल पिता पुनवाराम जाति अहिर,
- निवासी टोपला(समरिया जैतपुरी)(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।
8. हेमबती उम्र-21 साल पति साधुसिंह जाति अहिर, निवासी भडगांव
- तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
9. श्रीमती फुलियाबाई उम्र-47 साल पति श्री सुमरितलाल जाति अहिर निवासी
- खलौण्डी तहसील बिछिया जिला मण्डला।
10. दुरपतबाई पति इतवारी उम्र-56 साल निवासी जामटोला (गढ़ी), तहसील
- बैहर जिला बालाघाट।
11. फुलबतबाई पति रामलाल उम्र-54 साल निवासी मुक्की तहसील बैहर
- जिला बालाघाट।
12. म.प्र. राज्य की ओर से श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक-01/08/2017 को घोषित किया गया)

1— यह वाद वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 के विषय में हक घोषणार्थ, अंश निर्धारण तथा बक्खशीशनामा दिनांक 05.03.1976 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 एकड़ तथा खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि में सोनूलाल के फौत हो जाने के कारण वादी क्रमांक 01 तथा उसकी माता रत्नोबाई का नाम संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 01.11.85 के अनुसार दर्ज किया गया।

3— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 11 एक ही खानदान के हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 10 एवं 11 वादी क्रमांक 01 सभी बहन हैं जो कि अहिर जाति समुदाय के हैं, जिनपर हिन्दू विधि लागू होकर अपनी प्रथा से शासित होते हैं। भूमि जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि कहा जावेगा। कृषि भूमि होने के कारण मध्यप्रदेश शासन की ओर से पदेन सचिव श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट को प्रतिवादी क्रमांक 12 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, किन्तु उनसे कोई अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि खानदानी हक से प्राप्त संपत्ति है जो कि अधिकार अभिलेख वर्ष 1964-65 के अनुसार मूल पुरुष सोनूलाल खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर

34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर र74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। ल से प्राप्त संपत्ति है। ग्राम गढ़ी प.ह.नं.53 तहसील बैहर जिला बालाघाट में भूमिस्वामी हक कि निम्नलिखित भूमि है, जो पूर्व से वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित है।

4— वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर र74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर र74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा

नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ है।

5— उक्त भूमि वादीगण की खानदानी हक कि भूमिस्वामी भूमि है तथा वादी क्रमांक 01 मूल पुरुष पुत्र है, जिसको उक्त भूमि मूलपुरुष की मृत्यु के पश्चात वारसान हक प्राप्त हुई है। वादी क्रमांक 01 कि कुल चार पत्नियों थी, जिसमें से प्रथम पखसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्नी सुधियाबाई(मृत), द्वितीय पत्नी रामकली(मृत), तृतीय पत्नी बसमोतिनबाई वादी क्रमांक 02 तथा चौथी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 09 है। जिनकी संताने वादीगण तथा प्रतिवादीगण है।

6— वादग्रस्त खानदानी भूमि ग्राम गढ़ी प.ह.नं.53 खसरा नंबर 28/1 रकबा 0.13 डिसमिल भूमि पर मूल पुरुष सोनुलाल वल्द बिहारी का नाम दर्ज था, जिसकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा गांव का पटेल पद पर रहते हुये हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों से मेल-जोल कर उक्त भूमि वादीगण की जानकारी के बिना चोरी-छिपे संशोधन क्रमांक 16 दिनांक 02.12.1985 के अनुसार स्वयं के नाम पर दर्ज करवा लिया गया है व वादी क्रमांक 01 कि पहली पत्नी सुधिया के पुत्र सुन्हेर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जो कि अविवाहित मृत हो गया था, जिसके नाम का नाजायज

फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा छलपूर्वक धोखा देते हुए खानदानी भूमि के राजस्व प्रलेखों में सुन्हेर उर्फ सोमलाल करके नाम दर्ज करवा लिया गया है जो वादीगण पर बंधनकारक नहीं होने से प्रभाव शून्य है।

7— वादग्रस्त खानदानी हक कि भूमि मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 खसरा नंबर 5/1 रकबा 21.03 एकड़ व खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़ भूमि का बंटवारा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 तक द्वारा वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के हक को समाप्त करने की नियत से वादी क्रमांक 01 का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज होने के बावजूद भी वादीगण से धोखाधड़ी करके भूमि कि अफरा-तफरी करने की नियत से तथा पटेल पद का दुरुपयोग करके राजस्व अधिकारी व कर्मचारी से मेल-जोल कर संशोधन पंजी क्रमांक 74 दिनांक 05.11.1988 के अनुसार शामिल में नाम दर्ज करवा लिया गया है तथा संशोधन पंजी क्रमांक 75 दिनांक 05.11.1988 के अनुसार खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल भूमि सह खातेदार के रूप में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 तक के द्वारा अपना नाम वादीगण की बिना जानकारी के दर्ज करवाया गया है, जो कि वादीगण पर बंधनकारक नहीं होने से शून्य किया जावे। वादग्रस्त खानदानी हक कि भूमि मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 खसरा नंबर 5/1 व खसरा नंबर 34 की भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 तक द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने के पश्चात वादीगण बगैर जानकारी के संशोधन क्रमांक 171 दिनांक 04.01.1990 के अनुसार वादी क्रमांक 01 कि अनुपस्थिति में गोपनीय रूप से राजस्व कर्मचारी से मेल-जोल कर उपरोक्त खाते का बंटवारा विधि-विरुद्ध होने से प्रभावशून्य है।

8— प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 द्वारा वर्ष 1992 में मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 की खसरा नंबर 38 रकबा 11.15 एकड़ खानदानी भूमि संशोधन क्रमांक 98 दिनांक 04.05.1992, खसरा नंबर 47/2 रकबा 1.00 एकड़ खानदानी भूमि पर संशोधन पंजी क्रमांक 99 दिनांक 04.05.1992, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल की भूमि संशोधन क्रमांक 100 दिनांक 04.05.1992, प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 04 द्वारा वर्ष 1992 में मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 कुल रकबा 9.057 हेक्टेयर भूमि संशोधन क्रमांक 101 दिनांक 04.05.1992, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल की खानदानी भूमि संशोधन क्रमांक 102

दिनांक 04.05.1992, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल की भूमि संशोधन क्रमांक 103 दिनांक 04.05.1992 पर संशोधन पंजी के अनुसार वादीगण से चोरी छिपे अपना नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवाया गया है। वादी क्रमांक 01 के द्वारा जब अपनी खानदानी भूमि मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 के खसरा नंबर 5/1 पर अपने पुत्र वादी क्रमांक 03 को हिस्सा देने के लिये तहसीलदार बैहर के न्यायालय में आवेदन पेश किया गया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा आपत्ति दर्ज कि गई, जिसमें प्रकरण को अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। उसके बाद वादीगण द्वारा खानदानी हक की भूमि में सभी को समान हक दिये जाने के लिये अपनी खानदानी हक की भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 10.07.2015 प्राप्त की गई, जिससे जानकारी हुई प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा खानदानी हक की भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि का बंटवारा वादी क्रमांक 01 की अनुपस्थिति में किया जा चुका है तथा वादी क्रमांक 01 ने कभी कोई आवेदन किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया और ना ही कोई सहमति दी कि उक्त खानदानी भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाया गया है, जिससे वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 का नाम उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों से खारिज कराने के अधिकारी है।

9— खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा, 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं.53 तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 का नाम राजस्व प्रलेखों से खारिज कर वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि होने से हक की घोषणा

व अंश निर्धारण तथा बक्खशीनामा दिनांक 05.03.1976 के प्रभावशून्य होने की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे।

10— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 ने यह कहा है कि बंटवारा जब किसी कोर्ट से हो जाये तो उक्त बंटवारे को पुनः अपास्त कर संशोधन करने का अधिकार संबंधित पक्ष को नहीं रहता है। इन पक्षकारों का बंटवारा हो चुका है और वे उक्त बंटवारे से मुकर नहीं सकते हैं और जिनके विरुद्ध लॉ आफ स्टाफिल का कायदा लागू होता है। बक्खशी पत्र दिनांक 05.03.1976 के द्वारा मूल पुरुष सोनूलाल एवं सुन्हेरसिंह उर्फ सोमलाल के नाम की भूमि को अपने दोनों नाबालिग नातियों हेमलाल, हेमराज को सोनूलाल द्वारा 1133 एकड़ रजिस्टर्ड बक्खशी पत्र के माध्यम से भूमि दी गई थी, इसके पश्चात शेष बचत भूमि में से अपने बड़े नाती सुन्हेरसिंह उर्फ सोमलाल को 11.33 एकड़ भूमि दी गई थी, शेष बचत भूमि मूल पुरुष की मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी रतनीबाई एवं पुत्र सुमरितलाल के नाम पर आई थी और रतनीबाई की मृत्यु पश्चात उनके पुत्र सुमरितलाल के नाम पर भूमि आई थी। उक्त बक्खशी पत्र मूल पुरुष सोनूलाल द्वारा कानूनी रूप से निष्पादित करवाया गया था। उक्त बक्खशी पत्र फर्जी नहीं है। वादीगण का वाद कालसीमा के बाहर है। कालसीमा अधिनियम की कोई भी विधि के अनुसार वादीगण हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे।

11— उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5, 34, 66, 9, 15, 27, 29, 35/2, 74/1, 27/1, 83/2, 65/3, 6, 28/2 एवं रकबा क्रमशः 22.68 एकड़, 15.96 एकड़, 0.35 डिसमिल, 1.90 एकड़, 0.38 एकड़,	प्रमाणित नहीं।

	11.79 एकड़, 2.00 एकड़, 1.00 एकड़, 3.00 एकड़, 0.05 डिसमिल, 0.021 डिसमिल, 0.32 डिसमिल, 22.10 एकड़, 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 16 रकबा 102.45 एकड़ वादीगण की पैतृक संपत्ति होकर वादीगण के हक की है ?	
2.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वाद अनुचित मूल्यांकन के कारण पोषणीय नहीं है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वाद विबंध के सिद्धांत से बाधित है ?	प्रमाणित।
5.	क्या बख्खशीशनामा दिनांक 05.03.1976 विधि-विरुद्ध होकर प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 27 के अनुसार

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-02

12— वादीगण के अनुसार वाद की उत्पत्ति प्रथम बार दिनांक 06.07.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी क्रमांक 01 के तहसीलदार न्यायालय के यहाँ पेश आवेदन पत्र पर आपत्ति करने पर तथा द्वितीय बार वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों को दिनांक 10.07.2015 को प्राप्त करने पर हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उक्त तथ्य को अस्वीकार कर वाद के परिसीमा से बाहर होने के अभिवचन किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में कोई तथ्य लाये गये हैं। उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वादीगण को उक्त संबंध में पूर्व से जानकारी थी। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति के संबंध में क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि राजस्व प्रलेखों के संबंध में अद्यतन जानकारी हो। अपने अभिवचनों के संबंध में वादीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, जिससे वाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में प्रस्तुत होना सिद्ध होता है। परिणामस्वरूप

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-03

13— वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हक घोषणार्थ तथा अंश निर्धारण एवं बक्खशीशनामा दिनांक 05.03.1976 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस हेतु वाद मूल्यांकन 9,000/- रुपये कर हक घोषणा तथा अंश निर्धारण हेतु 1,000/- रुपये पर 500-500/- रुपये तथा बक्खशीशनामा के संबंध में 800/- रुपये न्यायालय शुल्क चस्पा किया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा पूर्व मूल्यांकन 2,000/- रुपये को विलोपित कर 9,000/- रुपये दर्ज किया गया है, परन्तु तदनुसार न्यायालय शुल्क चस्पा नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य लाये गये हैं। प्रकरण के अवलोकन से वादीगण द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा-7(iv)(c) के अनुसार उचित प्रतीत होता है, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 एवं 04

14— वादी सुमरितलाल वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़, खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर रकबा 15 रकबा 0.38 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा 11.79 एकड़, खसरा नंबर 35/2 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 35/3 रकबा 2.00 एकड़, खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल, खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 15/2, 27/2, 29/2, 35/5, 35/6 रकबा 9.057 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 28/2 रकबा 0.13 डिसमिल कुल खसरा नंबर 21 रकबा 102.45 एकड़ उनकी खानदानी भूमि है, जो मूल पुरुष सोनूलाल के फौत होने के पश्चात उन्हें प्राप्त हुई है। उसकी चार पत्नियाँ थी, जिसमें से प्रथम पत्नी सुधियाबाई, द्वितीय पत्नी रामकलीबाई जो फौत हो चुकी है, तृतीय पत्नी बसमोतिनबाई वा.सा.02 तथा

चतुर्थ पत्नी फूलियाबाई प्र.सा.09 है। उक्त पत्नियों से उत्पन्न संतान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 74/1 रकबा 1.00 तथा खसरा नंबर 27/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि सोनूलाल के फौत होने के पश्चात उसकी माता रत्नोबाई तथा उसके नाम पर संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 01.11.85 के अनुसार दर्ज हुई।

15— वादी सुमरितलाल वा.सा.01 के अनुसार भूमि खसरा नंबर 28/1 रकबा 0.13 डिसमिल भूमि पर सोनूलाल के फौत होने के पश्चात सोनूलाल द्वारा गांव के पटेल पद पर रहते हुए हल्का पटवारी तथा राजस्व कर्मचारियों से मेल-जोल कर उनकी जानकारी के बगैर संशोधन क्रमांक 16 दिनांक 02.12.85 के अनुसार स्वयं के नाम पर दर्ज करवा लिया। उसकी पहली पत्नी सुधिया के पुत्र सुन्हेरसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जिसके अविवाहित फौत होने के पश्चात नाम का नाजायज फायदा उठाकर सोमलाल द्वारा छलपूर्वक धोखा देते हुए राजस्व प्रलेखों में सुन्हेरसिंह उर्फ सोमलाल के नाम से दर्ज करवा लिया। इसी तरह भूमि खसरा नंबर 5/1 रकबा 21.03 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़। खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल, खसरा नंबर 38 रकबा 11.15 एकड़, खसरा नंबर 47/2 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर 65/3 रकबा 0.32 डिसमिल, खसरा नंबर 9/2, 5/2, 27/2, 29/2, 35/2, 35/3 कुल रकबा 22.10 एकड़, खसरा नंबर 43/2 रकबा 0.21 डिसमिल, खसरा नंबर 83/12 रकबा 0.05 डिसमिल पर संशोधन पंजी क्रमांक 74-75 दिनांक 5/11.88, संशोधन क्रमांक 171 दिनांक 4/1/90, संशोधन क्रमांक 98 दिनांक 4.592 संशोधन क्रमांक 99, 100, 100, 102, 103 दिनांक 4.5.92 के अनुसार चोरी-छिपे विधि-विरुद्ध तरीके से दर्ज करा लिया जो उनपर बंधनकारी नहीं है।

16— वादी सुमरितलाल वा.सा.01 के अनुसार जब उसके द्वारा खानदानी भूमि खसरा नंबर 5/1 पर पुत्र शोकलाल को हिस्सा देने के लिये तहसीलदार बैहर के न्यायालय में आवेदन पेश किया गया तो प्रतिवादीगण की आपत्ति पश्चात अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। तब उसके द्वारा खानदानी भूमि में सभी को समान हक दिये जाने के लिये भूमि से संबंधित रिकार्ड की नकल दिनांक 10.07.15 को निकाली गई तो पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से व4 द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उक्त खानदानी भूमि

का बंटवारा किया जा चुका है। जिस हेतु उसने कभी कोई आवेदन किसी न्यायालय में पेश नहीं किया और ना ही कोई सहमति दी। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 का नाम खारिज किये जाने की घोषण प्राप्त करने का वह अधिकारी है। उसने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 01.11.85 प्र.पी.01, अधिकार अभिलेख वर्ष 1664-65 प्र.पी.02, संशोधन पंजी क्रमांक 16 दिनांक 2.12.85 प्र.पी.03, संशोधन पंजी क्रमांक 74 दिनांक 5.11.88 प्र.पी.04, संशोधन पंजी क्रमांक 75 दिनांक 5.11.88 प्र.पी.05, संशोधन पंजी क्रमांक 171 दिनांक 04.01.90 प्र.पी.06, संशोधन पंजी क्रमांक 98, 99, 100, 100, 102, 103 दिनांक 4.05.1998 प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.12 तथा वादग्रस्त भूमि का खसरा प्र.पी.13 लगायत प्र.पी.22 पेश किया गया है। उक्त कथनों का समर्थन शोकलाल वा.सा.02, अलकराम वा.सा.03 तथा सुखचरण वा.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

17— प्रतिवादी सोमलाल प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि सुमरितलाल वा.सा.01 के उसे मिलाकर कुल चार वारसान हैं, जिसमें उसकी माता रामकलीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा शेष प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 वर्तमान में जामटोला गढ़ी में निवास कर रहे हैं। उनके अलावा मूल पुरुष के और कोई वारसान नहीं हैं, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु के पूर्व अथवा पश्चात में उनके पिता द्वारा कोई विवाह नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 22.68 एकड़, खसरा नंबर 34 रकबा 15.93 एकड़ तथा खसरा नंबर 66 रकबा 0.35 डिसमिल मूल पुरुष सोनूलाल द्वारा अपने जीवनकाल में क्रय की गई थी तथा शेष भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 1.90 एकड़, खसरा नंबर 15 रकबा 0.08 डिसमिल, खसरा नंबर 27 रकबा 18.58 एकड़, खसरा नंबर 29 रकबा 11.71 एकड़, खसरा नंबर 35/2 तथा 35/3 रकबा दो-दो एकड़ मूल पुरुष द्वारा अपने बड़े पुत्र सुमरितलाल वा.सा.01 के नाम पर क्रय की गई थी। उक्त भूमि मूल पुरुष द्वारा स्वयं तथा अपने बड़े नाती प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर क्रय करने के पश्चात बक्खशीशनामा दिनांक 05.03.76 के माध्यम से नाती हेमलाल, हेमराज को 11.33 एकड़ तथा उसे बाद में 11.33 एकड़ दी गई थी। शेष बचत भूमि लगभग 3.00 एकड़ को अपने नाम पर रखने के पश्चात उसकी मृत्यु पर पुत्र

सुमरितलाल तथा पत्नी रत्नोबाई के नाम पर संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 01.11.85 के आधार पर दर्ज हुई और रत्नोबाई की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि सुमरितलाल के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई।

18— प्रतिवादी सोमलाल प्र.सा.01 के अनुसार मूल पुरुष द्वारा सुमरितलाल के नाम पर कय की गई खसरा नंबर 5, 34 एवं 66 कुल रकबा 38.96 एकड़ को सुमरितलाल द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 171 दिनांक 04.01.90 को विधिवत् आवेदन देकर अपने वारसान पुत्र सोमलाल, हेमलाल, हेमराज का नाम दर्ज करवाकर विभाजन करवाया गया, जिसके अनुसार स्वयं सुमरितलाल को खसरा नंबर 5/1 रकबा 9.48 एकड़ भूमि, सोमलाल को खसरा नंबर 5/1 में से रकबा 1.04 एकड़, खसरा नंबर 34 में से रकबा 5/1 में से 9.48 एकड़ तथा हेमराज को खसरा नंबर 5/1 में से 1.00 एकड़ तथा खसरा नंबर 34 में से रकबा 7.97 एकड़ कुल रकबा 9.00 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। सभी खातेदारों का अलग-अलग पट्टा बना और सभी अपनी-अपनी भूमि पर बंटवारे के आधार पर विधिवत् कास्त करते चले आ रहे हैं। उक्त संशोधन पंजी में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। खानदान की समस्त भूमि का सभी खातेदारों के बीच आपसी सहमति से विधिवत् बंटवारा हो चुका है और सभी अपने-अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक कास्त करते चले आ रहे हैं, जो बख्खशीश पत्र 1976 तथा वर्ष 1990 में सुमरितलाल के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर है। उक्त विभाजन अथवा बख्खशीश पत्र को पूर्व में भी किसी भी न्यायालय में किसी भी पक्षकार के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। उसने जवाबदावे के समर्थन में तहसीलदार बैहर के राजस्व प्रकरण क्रमांक अ-27 वर्ष 2014-15 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.01, फरोख्तनामा दिनांक 04.07.67 प्र.डी.02, बख्खशीशनामा दिनांक 05.03.76 प्र.डी.03, खसरा नंबर 2016-17 प्र.डी.04, संशोधन पंजी क्रमांक 169 दिनांक 04.01.90 प्र.डी.05 तहसीलदार बैहर को खसरा नंबर 9, 15, 27, 29, 35/2 तथा 35/3 कुल रकबा 36.56 एकड़ भूमि के बख्खशीश पत्र के बाद हुए संशोधन की नकल हेतु दिये गये आवेदन जिसमें वर्ष 75-76 की संशोधन पंजी का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना लेख है की सत्यप्रतिलिपि प्र. डी.06 प्रस्तुत की है।

19— अधिकार अभिलेख वर्ष 1664-65 प्र.पी.02 के अवलोकन से भूमि खसरा नंबर 9, 15, 27, 29, 35 मूल पुरुष सोनूलाल तथा सुन्हेर उर्फ

सुमरितलाल के नाम पर दर्ज होना दर्शित है। फरोख्तनामा दिनांक 04.07.1967 प्र.डी.02 से उक्ताशय की पुष्टि होती है कि उक्त भूमि में से भूमि खसरा नंबर 35 रकबा 2.00 एकड़ बिसराम से मूल पुरुष द्वारा स्वयं तथा सोमलाल के नाम पर कय की गई थी, जिसके पश्चात् उसकी प्रविष्टि उक्त अधिकार अभिलेख प्र.पी.02 में दर्ज हुई। उक्त भूमि के पैतृक होकर वादीगण के स्वामित्व की होने के संबंध में मात्र मौखिक अभिवचन है। उक्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में ना तो मौखिक और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। इसके विपरीत उक्त दस्तावेजों से प्रतिवादी सोमलाल प्र.सा.01 के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि उक्त भूमि मूल पुरुष द्वारा स्वयं तथा उसके नाम पर कय की गई थी। उक्त संबंध में वादीगण के अभिवचन है कि उक्त सुन्हेर वादी सुमरितलाल की प्रथम पत्नी सुधिया का अविवाहित फौत पुत्र है, जिसके नाम का फायदा प्रतिवादी द्वारा उठाया गया है। उक्त तथ्य हेतु सर्वोत्तम साक्ष्य स्वयं वादी सुमरितलाल वा.सा.01 द्वारा ही कथन किये हैं। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उक्त विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है, परन्तु उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार वादीगण पर ही है, क्योंकि शोकलाल वा.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 19 में स्वीकार किया है कि उक्त फरोख्तनामा में लिखा गया नाम किसका है, उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह उस वक्त पैदा नहीं हुआ था।

20— वादी सुमरितलाल द्वारा स्वयं के सुधिया से विवाह तथा उससे उत्पन्न संतानों के विशिष्ट विवरण द्वारा उक्त तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता था। कथित सुन्हेर के जन्म, मृत्यु तथा अन्य विवरणों के संबंध में कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी सोमलाल प्र.सा.01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि उक्त दस्तावेज तथा उक्त भूमि के दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दस्तावेजों में उसका नाम सोमलाल उर्फ सुन्हेर दर्ज नहीं है तथा उसे सोमलाल के नाम से ही जाना जाता है, तथापि उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार वादीगण पर ही है, जिसमें वह असफल रहे हैं, क्योंकि उक्त संपूर्ण प्रविष्टि के दूसरे वर्षों के दौरान वादी सुमरितलाल की अनापत्ति उक्त अभिवचन के संबंध में संशय पैदा करती है। फलतः उक्त खसरा नंबर 9, 15, 27, 29 तथा 35 की भूमि के पैतृक होकर वादीगण के हक की होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वयं सुमरितलाल वा.सा.01

ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 16 में स्वीकार किया है कि उनकी खानदानी भूमि 102.45 एकड़ न होकर 75.58 एकड़ है।

21— अब प्रश्न शेष भूमि का है। उक्त भूमि के स्रोत के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वादीगण द्वारा केवल संशोधन पंजियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से भी प्र.पी.07 खसरा नंबर 38, प्र.पी.04 खसरा नंबर 65/3, प्र.पी.10 खसरा नंबर 06, प्र.पी.07 खसरा नंबर 83/12 मात्र प्रतिवादीगण के बालिग होने की प्रविष्टि के संबंध में हैं, जो कि उक्त प्रतिवादीगण के नाम पर ही हैं। यद्यपि प्र.पी.08 खसरा नंबर 47/2 तथा प्र.पी. 11 खसरा नंबर 83/2 शामिल खाते की भूमि के संबंध में हैं। उक्त खसरा नंबर की भूमि के संबंध में उभयपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि उक्त भूमि स्व-अर्जित है अथवा पैतृक। मात्र मौखिक अभिवचन से उक्त संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। जहाँ तक संशोधन पंजी क्रमांक 171 दिनांक 4.11.90 प्र.पी.06 की प्रमाणिकता का प्रश्न है, वादीगण के अनुसार वादी सुमरितलाल द्वारा ऐसी कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों की मिली-भगत से उनकी अनुपस्थिति में बंटवारा करा लिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार वादी सुमरितलाल के आवेदन के आधार पर ही उक्त बंटवारा किया गया, जिसके पश्चात सभी शांतिपूर्वक कास्त करते रहे हैं तथा इतने वर्षों के पश्चात विबंध के सिद्धांत से बाधित होने के कारण वह मुकर नहीं सकते। संशोधन पंजी प्र. पी.06 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त बंटवारा सहमति के आधार पर आपत्ति प्रकाशन कर एक माह उपरांत तहसीलदार द्वारा किया गया है, जो कि धारा-178 व 178ए म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप दर्शित होता है। उक्त बंटवारा विधि-विरुद्ध होकर उसके हस्ताक्षर नहीं होना सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, परंतु उनके द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मात्र प्रतिवादी के पटेल होने के अभिवचन के कारण राजस्व प्रलेखों की प्रविष्टियाँ खारिज नहीं की जा सकती।

22— प्रतिवादीगण द्वारा वादी क्रमांक 02 शोकलाल के वारिस होने के संबंध में चुनौती दी है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। मात्र मौखिक औपचारिक अभिवचन के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि वादीगण द्वारा उक्त संबंध में कक्षा दसवी की अंकसूची प्र.पी.23 प्रस्तुत

की है, जिसमें शोकलाल के पिता का नाम सुमरितलाल दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज में ऐसे कोई तथ्य नहीं लाये हैं कि शोकलाल सुमरितलाल का पुत्र नहीं है।

23— विबंध का सिद्धांत पारिवारिक व्यवस्था पत्र पर लागू होता है, यह विभिन्न न्यायदृष्टांतों द्वारा एक सुस्थापित सिद्धांत है। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से दर्शित है कि बंटवारा वर्ष 1990 के पश्चात से सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से की भूमि पर कास्त कर रहे हैं। वादी सुमरितलाल वा.सा.01 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 19 में कथन है कि वर्ष 1982 से उसके द्वारा भूमि की देख-रेख व कमाना छोड़ दिया गया है तथा वर्ष 1982 के बाद से उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में भूमि के बंटवारे के संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया गया है क्योंकि खसरा नंबर 5/1 की भूमि हिस्से में आ गई थी। शोकलाल वा.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 16 में कथन किये हैं कि सुमरितलाल जी द्वारा पूर्व में उसे कभी भी खानदानी जमीन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। साक्षी के अनुसार सोमलाल द्वारा उसे कुछ भूमि कमाने के लिये दी गई थी, जिस पर उसने करीब सन् 2000 से 2013 तक उसने उक्त जमीन पर कास्त किया। कंडिका क्रमांक 17 में कथन किये कि वर्ष 1990 में उसकी उम्र-21 वर्ष हो चुकी थी और वह बालिग हो चुका था। वादी सुमरितलाल के आचरण और कथनों से दर्शित है कि आक्षेपित बंटवारा उसकी सहमति से हुआ था। बंटवारा वर्ष 1990 के पश्चात इतने वर्षों में कोई नहीं करना तथा पढ़ा लिखा होने के बावजूद वादी शोकलाल का नाम पूर्व में दर्ज कराने हेतु कोई प्रयत्न करना दर्शित करता है कि परिवार की संपूर्ण संपत्तियों का पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा किया जा चुका है तथा जिस पर सभी काबिज चले आ रहे हैं। वादी शोकलाल वादी सुमरितलाल का पुत्र होकर पैतृक संपत्ति में वारसान होना दर्शित है, परंतु वादीगण द्वारा संपूर्ण भूमि का पैतृक संपत्ति होना सिद्ध नहीं किया गया है।

24— विबंध का सिद्धांत पक्षकार न होने पर भी लागू किया जा सकता, यदि पक्षकार व्यक्ति द्वारा उसमें कुछ लाभ प्राप्त किया गया है। प्रकरण में आक्षेपित बंटवारे से यद्यपि वादी शोकलाल को प्रत्यक्ष लाभ दर्शित नहीं है तथापि तहसीलदार के यहाँ पेश आवेदन में केवल शोकलाल का नाम दर्ज किये जाने के तथ्य से दर्शित है कि उक्त बंटवारे से अप्रत्यक्ष रूप से

वादी शोकलाल को लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त तथ्य पर विचार न भी किया जाए, तब भी वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध नहीं किया गया है, जिससे उनका उक्त भूमि पर कोई अधिकार दर्शित नहीं है। पारिवारिक व्यवस्थापन्न पक्षकारों पर बाध्य होता है और लाभ लेने के पश्चात पक्षकारों द्वारा चुनौती देने पर विबंध के रूप में कार्य करता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत केल विरुद्ध डिप्टी डायरेक्टर ए 1976 एस.सी.807 अवलोकनीय है। अतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं तथा विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-04 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-05

25— वादीगण के अनुसार बक्खशीशनामा दिनांक 05.03.1976 प्रतिवादी क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा मूल पुरुष सोनूलाल के नाम पर फर्जी तौर पर निष्पादित कराया गया है। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार बक्खशीश पत्र दिनांक 05.03.1976 के अनुसार मूल पुरुष ने स्वयं तथा सुन्हेर उर्फ सोमलाल के नाम की भूमि को दो-दो नाबालिग नातियों हेमलाल व हेमराज को 11.33 एकड़ तथा पश्चात में बड़े नाती सुन्हेर उर्फ सोमलाल को 11.33 एकड़ भूमि दी गई थी। शेष बचत भूमि मूल पुरुष की मृत्यु पश्चात पत्नी रत्नीबाई एवं पुत्र वादी सुमरितलाल के नाम पर आई थी, जो कि रत्नीबाई के फौत होने के पश्चात सुमरितलाल के नाम पर दर्ज हुई। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कोई कथन नहीं किये गये हैं, जबकि प्रतिवादी सामेलाल प्र.सा.01 द्वारा अपने अभिवचनों के संबंध में मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में विशिष्ट कथन किये गये हैं। वादीगण द्वारा अपनी संपूर्ण साक्ष्य में कहीं भी उक्त दस्तावेज की सत्यता को चुनौती नहीं दी गई है कि उक्त दस्तावेज में मूल पुरुष के हस्ताक्षर नहीं हैं अथवा मूल पुरुष द्वारा निष्पादित उक्त दस्तावेज विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। वादी सुमरितलाल वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 17 में स्वीकार किया है कि बक्खशीश पत्र लिखते समय सुन्हेरसिंह उर्फ सोमलाल नाबालिग था, इसलिये बक्खशीश पत्र आज्ञा सोनूलाल के द्वारा निष्पादित किया गया है।

26— प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त बक्खशीश पत्र को विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा बक्खशीश पत्र के अनुप्रमाणन साक्षियों के संबंध में कोई लेख नहीं किया गया है और ना ही बक्खशीशनामा की मूल

प्रति के संबंध में कोई कथन किया है। यद्यपि उक्त दस्तावेज तीस वर्ष से अधिक पुराना है, तथापि मात्र उक्त तथ्य के आधार पर धारा-90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रतिवादीगण ने उक्त उपधारणा हेतु आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं किया गया है। प्रदर्शित कर देने मात्र से दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो जाता, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। तथापि दस्तावेज को शून्य घोषित करने हेतु प्रारंभिक भार वादीगण पर था, परंतु उनके द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र मौखिक औपचारिक अभिवचनों के आधार पर आक्षेपित दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त बक्खशीशनामा के आधार पर ही वादग्रस्त भूमि के पश्चात के राजस्व प्रलेखों में प्रविष्टि दर्ज होना दर्शित है, जिससे प्रतिवादीगण के अभिवचन उक्त संबंध में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। बक्खशीशनामा प्र.पी.03 में उल्लेखित भूमि का पैतृक होना भी सिद्ध नहीं है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-05 प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 06 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

27- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है:-

अ- वादीगण वाद व्यय वहन करेंगे।

ब- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञा बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.